



कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001

(An Institute Under Government of Madhya Pradesh)

Email: deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

दूरभाष - 07162-297009



क्रमांक/अधिष्ठाता/सिम्स/2026/2212

छिन्दवाड़ा, दिनांक:- 10-02-26

-: नोटिस इन्वाइटिंग कोटेशन :-

छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा महाविद्यालय की माइक्रोबायोलॉजी/आर.टी.पी.सी.आर. लैब हेतु निम्नांकित आवश्यक सामग्रियों का क्रय किया जाना है:-

S. No.	Item Name	Quantity
1	Leptospira IgM ELISA Kit	02
2	Scrub Typhus Igm ELISA Kit	02
3	Brucella IgG ELISA Kit	02
4	Micropipette Multichannel (30-300 l)	02

उपरोक्त सामग्री क्रय किये जाने हेतु अधिकृत इच्छुक एजेंसी/फर्म से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन जमा करने की प्रारंभ दिनांक- 10/02/2026 एवं समाप्ति दिनांक- 18/02/2026 शाम 4:00 बजे तक है।

सामान्य नियम एवं शर्तें:-

- दिनांक- /02/2026 तक छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा महाविद्यालय की माइक्रोबायोलॉजी/आर.टी.पी.सी.आर. लैब हेतु उपरोक्तानुसार आवश्यक सामग्रियों का क्रय किये जाने हेतु एजेंसी/फर्म को मुहरबंद कोटेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- कोटेशन को संलग्न निर्धारित प्रारूप में अधिकृत एजेंसी/फर्म या उनके प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- कोटेशन एक शीलबंद लिफाफे में होना चाहिए जिस पर इन्क्वायरी रिकॉर्स नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
- दर (प्राइस विड) निर्धारित प्रपत्रों में भरकर स्वहस्ताक्षरित कर संस्था में जमा करना अनिवार्य है।
- समस्त दरों को माल दुलाई शुल्क, बीमा, इन्स्टॉलेशन चार्ज समेत दर प्रपत्र में भरना होगा।
- समस्त कोटेड दर कोटेशन ऑपन होने की तारीख से 180 दिन तक वैध होगी।
- एल 1 (न्यूनतम दर) कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट के आधार पर निर्धारित की जाएगी एवं न्यूनतम दर कार्यादेश जारी करने हेतु बाध्य नहीं होगी।
- सामग्री प्रदाय करने की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से अधिकतम 05 दिवस होगी।
- यदि अधिकृत एजेंसी/फर्म निर्धारित तिथि तक सामग्री प्रदाय करने में असफल होता है तो संस्था को उचित वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भुगतान की शर्तें-

- निर्धारित समय के भीतर एजेंसी/फर्म द्वारा सामग्री को संतोषजनक तरीके से प्रदाय करने तथा संस्था के प्रतिनिधि के निरीक्षण के बाद अधिकृत एजेंसी/फर्म द्वारा जी.एस.टी. सम्मिलित देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् देयकों का प्रमाणन होने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
- विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- कार्य की आवृत्ति को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार अधिष्ठाता, सिम्स छिन्दवाड़ा को होगा।
- किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार सिम्स छिन्दवाड़ा के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

For: P. K.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
छिन्दवाड़ा म.प्र.

